## निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
## उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

**प्रकरण संख्या** :—54/2016
**दायरा दिनांक** :—06.05.2016
**निर्णय दिनांक** :— 18.7.23

### उनवान

मनोरमा देवी पत्नी कमलकिशोर जाति छीपा निवासी दीनदयाल पार्क, बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
—**वादीगण**

### बनाम

1. रामरतन पुत्र पन्नालाल जाति बैरवा निवासी तलावड़ा हाल निवासी कुजंबिहार कोलोनी, अटरू रोड़ बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
2. प्रहलाद पुत्र नाथुलाल जाति बेरवा निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां
3. सुरेश पुत्र प्रहलाद जाति बेरवा निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां जिला बारां
4. सूरजमल पुत्र नामालूम जाति रेगर निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां
5. बिरधीलाल रेगरनामालूम जाति रेगर निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां
6. रांमप्रसाद ऐरवाल पुत्रनामालूम जाति रेगर निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां
7. हीरालाल बैरवा पुत्रनामालूम जाति बैरवा निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां
8. रमेश पुत्र जानकीलाल निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
9. बाबूलाल पुत्रजानकीलाल निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां जिला बारां
10. कंवर लाल पुत्र शिवलाल जाति यादव निवास कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां

—**प्रतिवादीगण**

### दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट

**निर्णय दिनांक** :— 18.7.23

**अभिभाषक उपस्थित** :—1. श्री ओम प्रकाश मेहता एड0— वादी
2. श्री बृजराज सिंह चौहान एड0— प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 188 आर0 टी0 एक्ट विरूद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश [illegible] या कि ग्राम सुसावन पटवार हल्का [illegible] 161 पुराना 151 की आराजी की आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2071—74 [illegible] खसरा नं0 748 [illegible] रकबा 0.50 हे0 कुल किता 2 खसरा नं0712/917 रकबा 1.42 हे0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

रकबा 1.92 हे0 स्थित है। जिसे आगे वादपत्र में विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादिया के खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी ग्राम सुसावन में स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण वादिया के खातेदारी एवं स्वामित्व में दखल अंदाजी उत्पन्न करते है तथा बार बार कब्जा करने का प्रयास करते है। प्रार्थिया/वादिया महिला है तथा शांतिप्रिय नागरिक है जबकि प्रतिवादीगण झगड़ालू किस्म के व्यक्ति है तथा प्रार्थिया/वादिया जब भी उनसे कब्जा करने का प्रयास करने पर मना करती है तो धमकी देते है कि तेरे व तेरे पति के विरूद्ध धारा 3 का मुकदमा दर्ज करवा कर बन्द करवा देंगे। इस कारण वादिया प्रतिवादीगण से लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती इस कारण वादीया अपने खातेदारी एवं स्वामित्व की आराजी खसरा नं0 712/917 रकबा 1.42 हे0 व खसरा नं0 748/918 रकबा 0.50 हे0 कुल 2 किता कुल रकबा 1.92 हे0 पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने की अधिकारणी एवं नालिशी है। प्रतिवादीगण झगड़ालू व प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण वादिया की आराजियात पर कब्जा करने में सफल हो गये तो वादिया को अपरिमित क्षतिहोगी तथा दौराने वाद कब्जा किया गया तो वादिया प्रतिवादीगण को बेदखल कर पुनः कब्जा प्राप्त कर सकने की अधिकारी एवं नालिशी है।वादीया व उसका परिवार शांतिप्रिय नागरीक है तथा प्रतिवादीगण झगडालू प्रवृति के व कब्जा करने के आदी है। इस कारण वादीया खातेदारी एवं स्वामित्व के आराजीयत पर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 11.04.2016 को जबरन कब्जा करने की धमकी दिये जाने पर अन्तिमरूप से ग्राम सुसावन मे दिनांक 11.04.2016 को वाद कारण उत्पन्न हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम सुसावन सम्वत् 2071–74 खाता सं0 161 पेश की गई। मुख्तार नामा खास दिनांक 13.09.2019 पेश किया गया। साक्ष्यवादी मे दोजमल का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक वादी एक तरफा सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम सुसावन तहसील बारां मे स्थित है। वादीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मे प्रतिवादीगण दखल अंदाजी करते है। वादीया एक महिला है प्रतिवादीगण वादीया का महिला होने का फायदा उठाकर वादीया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीया के खातेदारी एवंकब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा कर वादीया को बेदखल कर दिया। तो वादीया को अपरिमित क्षति होगी। सुविधा का सन्तुलन वादीया के पक्ष मे है। वादीया का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी [illegible] सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम सुसावन सम्वत् 2071–74 खाता सं0 161 के अनुसार वादिया [illegible] होना पाया गया है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। विवादित आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी की नही है। [illegible]या की भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने पक्ष के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य व सबूत पेश नही किया। जिससे प्रतिवादीगण का कब्जा एवं खातेदारी दर्ज होना साबित हो सके। विवादित आराजी पर वादिया का कब्जा काश्त एवं खातेदारी दर्ज है। वादिया की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर वादिया को बेदखल किया जाता है। तो वादिया को अपरिमित क्षति होगी। विवादित आराजी वादिया की खातेदारी मे दर्ज है इससे सुविधा का संतुलन वादिया के पक्ष मे है। वादिया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित हैं।

## क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम सुसावन तहसील बारां के खसरा नं0 712/917 रकबा 1.42 हे0, खसरा नं0 748/918 रकबा 0.50 हे0 पर वादीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वंय उत्पन्न करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। तदानुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

## डिक्री

| वाद संख्या 54/16 | अन्तर्गत 188 आर टी एक्ट | निर्णय दिनांकः–18..07.2023 |
|---|---|---|
| समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां | | |
| उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री ओम प्रकाश मेहता एड0 | | अभिभाषकप्रतिवादीः–बृजराज सिंह चौहान एड0 |

## वाद शीर्षक

## उनवान

मनोरमा देवी पत्नी कमलकिशोर जाति छीपा निवासी दीनदयाल पार्क, बारां तहसील बारां जिला बारां राज0

–वादीगण

## बनाम

1. रामरतन पुत्र पन्नालाल जाति बैरवा निवासी तलावडा हाल निवासी कुजंबिहार कोलोनी, अटरू रोड़ बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
2. प्रहलाद पुत्र नाथुलाल जाति बेरवा निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां
3. सुरेश पुत्र प्रहलाद जाति बेरवा निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां जिला बारां
4. सूरजमल पुत्र नामालूम जाति रेगर निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां
5. बिरधीलाल रैगर नामालूम जाति रेगर निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां
6. रामप्रसाद ऐरवाल पुत्र नामालूम जाति रेगर निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां
7. हीरालाल बैरवा पुत्रना मालूम जाति बैरवा निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां
8. रमेश पुत्र जानकीलाल निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां जिला बारां राज0
9. बाबूलाल पुत्र जानकीलाल निवासी कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां जिला बारां
10. कंवर लाल पुत्र शिवलाल जाति यादव निवास कुजंबिहार कोलोनी, बारां तहसील बारां

–प्रतिवादीगण

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादिया का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है। कि विवादित आराजी वाके ग्राम सुसावन तहसील बारां के खसरा नं0 712/917 रकबा 1.42 हे0, खसरा नं0 748/918 रकबा 0.50 हे0 पर वादीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वंय उत्पन्न करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

साथ ही नियमानुसार .................................... रू0 का व्ययानुतोष ..................... द्वारा ............ को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 18.07.2023 को निर्गत किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 16:58:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

| क्र.सं. | व्यय मद | व्ययानुतोष वादी | व्ययानुतोष प्रतिवादी |
|---|---|---|---|
| 1. | वदपत्र/लिखित कथन | | |
| 2. | अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय) | | |
| 3. | साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय) | | |
| 4. | प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय) | | |
| 5. | पारिश्रमिकअभिभाषक | | |

Scanned with CamScanner